भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

कोरोना वायरस (**COVID-19**) को विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा महामारी घोषित किया हुआ है। इस वायरस के संक्रमण का फैलाव लोगों के जीवन के लिए नुकसानदायक व जानलेवा हो सकता है। इस बिमारी का अभी तक कोई टीका तैयार नहीं हुआ है। केवल संकमण से बचना ही उत्तम ईलाज है। इसके मद्देनजर प्रदेश में लोकडाउन लागू है। मेरे सज्ञांन में लाया गया है कि शरारती तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर लोकडाउन के सम्बन्ध में अफवाहे तथा भडकाऊ पोस्ट डाली जा रही है जिससे सामाजिक सोहार्द व आपसी भाईचारे पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत मैं यशेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधीश, रेवाड़ी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सोशल मीडिया पर भडकाऊ पोस्ट डालने व अग्रेषित करने पर रोक लगाने के आदेश पारित करता हूँ।

यह आदेश आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित किए गए हैं।

इन आदेशों की पालना सम्बन्धित उप मण्डल मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित उप–पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी द्वारा की जाएगी।

इन आदेशों का जिला रेवाड़ी में ढोल बजाकर, जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, रेवाड़ी की वैन द्वारा मुनादी करवाकर, प्रैस विज्ञाप्ति जारी कर तथा जिला मुख्यालय, उप मण्डल, तहसील, कचहरी, सार्वजनिक स्थानों व थानों पर चस्पा करवाकर व जिला प्रशासन की वैबसाईट www.rewari.gov.in के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो वह धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत दण्ड का भागीदार होगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से दो माह तक प्रभावी रहेगें।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक 12 मई, 2020 को आदेश जारी किये गये।

District Magistrate Rewari

हस्ता0
यशेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0,
जिलाधीश, रेवाड़ी।

पृ0 कमांक 9907-9985 /विविध शाखा दिनांक : 12-05-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ़।
5. आयुक्त, गुरूग्राम मण्डल, गुरुग्राम।
6. उप महानिरीक्षक, पुलिस, साउथ रेंज, रेवाड़ी।
7. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, रेवाड़ी।
8. राज्य के सभी जिलाधीश,
9. पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।
10. जिला के सभी उपमण्डलाधीश।
11. जिला रेवाडी के सभी उप पुलिस अधीक्षक मार्फत पुलिस अधीक्षक, रेवाडी।
12. जिला के सभी तहसीलदार/उप-तहसीलदार।
13. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, रेवाड़ी।
14. जिला सूचना अधिकारी, रेवाड़ी।
15. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, रेवाड़ी/नगरपालिका, बावल/धारूहेड़ा।
17. आशुलिपिक समीप उपायुक्त, रेवाड़ी।

District Magistrate Rewari

Sanjeev 12/05/2020
संजीव कुमार, एच.सी.एस.,
नगराधीश,
कृतेः जिलाधीश, रेवाड़ी।